न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/105/2021	08–10–2021	26–08–2022

01– गिर्राज पुत्र पृथ्वी जाति अहीर निवासी ग्राम बबेरा तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

–अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 09.09.2020 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 28/2020

उपस्थित:–

01–श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 09.09.2020 प्रकरण संख्या 28/2020 जिसके द्वारा सम्वत 2077 में अपीलान्ट को ग्राम बबेंर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 0.90 है0 किस्म चारागाह में से 0.50 है0 भूमि पर बाजरा की फसल काश्त किये जाने पर/पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि पटवारी हल्का बुटेरी तहसील बानसूर द्वारा ग्राम बबेरा की आराजी खसरा न0 425 रकबा 0.90 है0 किस्म चारागाह में से 0.50 है0 भूमि पर बाजरा की फसल काश्त किये जाने पर अतिक्रमी गिर्राज पुत्र पृथ्वी जाति गुर्जर निवासी बबेरा के विरूद्ध दिनाक 16.07.2020 को भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गयी। जिस पर प्रकरण संख्या 28/2020 दर्ज रजिस्टर किया जाकर दिनाक 09.09.2020 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए शास्ती आरोपित/ बेदखल व 3 माह के सिविल कारावास से दण्दित करने का आलोच्य आदेश पारित किया गया है। पारित आदेश मिन अपीलान्ट की गैरजानकारी व गैरमौजुदगी में पारित किया है, क्योंकि नोटिस की तामील होने के उपरान्त अपीलान्ट दिनाक 18.08.2020 को तारीख पेशी पर तहत अदालत में पहुँचा लेकिन कोरोना बीमारी के कारण तहत अदालत में प्रवेश नही करने दिया और बताया गया कि अभी कोई अंदर प्रवेश नही करेगा। तारीख पेशी की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा करदी जावेगी। और आपको पुनः सूचना भिजवा दी जावेगी। अपीलान्ट वापिस अपने गांव आ गया और अपने कृर्षि कार्य में लग गया। कोरोना महामारी के कारण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर व माननीय सुपरिम कोर्ट ने भी अधिनस्थ न्यायालय को दियायत दी हुई है, कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

विचाराधीन प्रकरणो में एक्सपार्टी में किसी प्रकार का निर्णय बिना सुने नही किया जावे। उसके बाद दिनाक 15.09.2020 को तहत न्यायालय में गया और रीडर से जानकारी की रीडर ने पत्रावली देखकर बताया कि आपके प्रकरण में तो निर्णय दिनाक 09.09.2020 को हो गया है, आपको बेदखल करने व 3 माह का सिविल कारावारा का आदेश है। जिस पर अपीलान्ट ने उसी समय नकल का प्रार्थना पत्र पेश कर नकल प्राप्त की जिस पर वकील से कानूनी सलाह ली गयी, जिस पर अपील किये जाने हेतु सलाह दी गयी जिस पर बिना देरी किये यह अपील अन्दर मियाद पेश की है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य निर्णय पारित करने में विधिक प्रकिया एवं गंभीर महामारी कोरोना के प्रचलन में रहने के कारण अपीलान्ट को तारीख पेशी से सूचित करने के बाद ही एवं सुनवाई का पूर्णतया अवसर देने के बाद ही निर्णय पारित करना चाहिए था। तहत अदालत ने ऐसा नही करके प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो का स्पष्टया उल्लघंन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित आराजी अपीलान्ट एवं उसके भाईयो के बुर्जुग जीता, फत्ता, पृथ्वी, मातादीन आदि जिनके पढदादा स्व0 कालू पुत्र मोहन गुर्जर की कब्जे काश्त खातेदारी थी, जिस पर बुजुर्गो का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरदारी जत्ती एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट एंव उनके भाई ,चाचा व ताऊ करते आ रहे है। सम्वत 2021 में सैटमेन्ट घोषित हुआ सैटलमेन्ट के कर्मचारीयो ने गलती से मौके व कब्जे एवं गत राजस्व रिकार्ड के खिलाफ बुजुर्गो की खातेदारी के अंकन को हटाकर चारागाह गलत अंकन कर दिया। जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट एवं उसके भाई बन्धू, चाचा, ताऊ आदि ने उक्त गलत इन्द्राज चारागाह को दुरूस्त कराने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के यहा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सन 2018 में पेश कर दिया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर व तहसीलदार लैण्ड होल्डर बानसूर एवं ग्रम पंचायत बबेरा को पक्षकार/ प्रतिवादीगण बना रखा है, प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बहस सुनने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा प्रार्थना पत्र 212 दिनाक 26.03.2019 को स्वीकार करने का निर्णय पारित किया। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबंन्द किया गया कि विवादित आराजी खसरा न0 194 रकबा 0.51 है0, 425 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम बबेरा तहसील बानसूर में प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करने देवे व मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक यथावत बनाए रखे जिस स्थगन आदेश का नोट भी तत्कालीन जमाबन्दी संम्वत 2075 से 2078 में लगा हुआ है, यह नोट स्वयं हल्का पटवारी द्वारा लगाया गया है। उक्त निर्णय से तहसीलदार बानसूर लैण्ड होल्डर की हैसियत से पांबन्द होते हुए तहत अदालत को जमाबन्दी पर उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ होते हुए भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नही था, बल्कि यह कार्यवाही करके तहत अदालत द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के आदेश की अवहेलना की है, इस हेतु तहत अदालत के विरूद्व कार्यवाही की जावे। तहत अदालत द्वारा अतिक्रमी को धारा 91(7) भू0 राजस्व अधिनियम के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमण का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है, फिर भी अपीलान्ट को विधि विरूद्व तरीके से बिना नोटिस दिये, बिना सुनवाई का अवसर दिये आलोच्य निर्णय पारित किया है, जो मौके व कब्जे व गत रिकार्ड राजस्व के खिलाफ व विधि विरूद्व पारित किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है। पूर्व में अपीलान्ट को बेदखल नहीं किया गया फिर भी तहत अदालत ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानो के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मान कर 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज.)

किया है, जो विधि विरूद्ध है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी साबित करने के लिए तहत अदालत में पूर्व वाले बेदखली के निर्णय की प्रति पेश करना आवश्यक होता है। जिसके अभाव में तहत अदालत ने अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में अहम भूल की है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है, इस लिए आलोच्य आदेश निरस्त किया जाना एवं अपीलान्ट का कब्जा बुजुर्गो के समय से यानि संवत 2012 से पूर्व से चला आने के कारण काबिल विनियमन है, इसलिए विनियमन के आदेश फरमाये जावे, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावें। जिसके समर्थन में वकील अपीलान्ट द्वारा माननीय न्यायालयो की नजीरे/रूलिंग आर. आर. डी 1989 पेज संख्या 45, आर. आर. डी. 1991 पेज संख्या 218(सी), आर.डी 1984 पेज 45 (डी/ई), आर. आर. डी. 1996 पेज 480, आर.आर.डी 1996 पेज संख्या 585 पेश की गयी है।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 425 रकबा 3.90 है0 किस्म चारागाह जो धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियो की श्रेणी में आती है। जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरूद्ध तीन माह का सिविल कारावास/बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि विवादित आराजी अपीलान्ट एवं उसके भाईयो के बुर्जुग जीता, फत्ता, पृथ्वी, सातादीन आदि जिनके पडदादा स्व0 कालू पुत्र मोहन गुर्जर की कब्जे काश्त खातेदारी थी, जिस पर बुजुर्गो का कब्जा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीरदारी जत्ती एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के लागू होने से पूर्व से ही काबिज रहकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है। उनके स्वर्गवास के बाद अपीलान्ट एंव उनके भाई ,चाचा, ताउ करते आ रहे है। सम्वत 2021 मे सैटमेन्ट घोषित हुआ सैटलमेन्ट के कर्मचारीयो ने गलती से मौके व कब्जे एवं गत राजस्व रिकार्ड के खिलाफ बुजुर्गो की खातेदारी के अंकन को हटाकर चारागाह गलत अंकन कर दिया। जिसकी जानकारी होते ही अपीलान्ट एवं उसके भाई बन्धू, चाचा, ताऊ आदि ने उक्त गलत इन्द्राज चारागाह को दुरूस्त कराने के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के यहा एक दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सन 2018 में पेश कर दिया जिसके साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर व तहसीलदार लैण्ड होल्डर बानसूर एवं ग्राम पंचायत बबेरा को पक्षकार/प्रतिवादीगण बना रखा है, प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में बहस सुनने के बाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा प्रार्थना पत्र 212 दिनाक 26.03.2019 को स्वीकार करने का निर्णय पारित किया। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि विवादित आराजी खसरा न0 194 रकबा 0.51 है0 425 रकबा 3.90 है0 वाके ग्राम बबेरा तहसील बानसूर में प्रार्थीगण को शांतिपूर्वक काबिज होकर काश्त व उपयोग उपभोग करने देवे व मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक यथावत बनाए रखे जिस स्थगन आदेश का नोट भी तत्कालीन जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 मे लगा हुआ है, यह नोट स्वयं हल्का पटवारी द्वारा लगाया गया है। उक्त निर्णय से तहसीलदार बानसूर लैण्ड होल्डर की हैसियत से पाबन्द होते हुए तहत अदालत को जमाबन्दी पर उपखण्ड अधिकारी के स्थगन आदेश का नोट लगा हुआ होते हुए भी धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार नही था, बल्कि यह कार्यवाही करके तहत अदालत द्वारा न्यायालय

प्रतिलिपि जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपखण्ड अधिकारी बानसूर के आदेश की अवहेलना की है, इस हेतु तहत अदालत के विरूद्व कार्यवाही की जावें। तहत अदालत ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानो के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिकमी मान कर 3 माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है, जो विधि विरूद्व है। अपीलान्ट का कब्जा बुजुर्गो के समय से यानि संवत 2012 से पूर्व से चला आने के कारण काविल विनियमन है, इसलिए विनियमन के आदेश फरमाये जावे, अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का बुटेरी तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 16.07.2020 को सम्वत 2078 में भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत में पेश की है कि आराजी खसरा न0 425 रकबा 3.90 है0 में से रकबा 0.50 है0 किस्म चारागाह में बाजरा की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिकमी के विरूद्व धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 28.07.2020 को तलब किया गया जारी नोटिस की प्रति दिनाक 23.07.2020 को मातादीन को तामील करायी गयी। लेकिन अतिकमी अनुपस्थित रहने के कारण पुनः नोटिस जारी कर दिनाक 18.08.2020 को तलब किया गया जारी नोटिस की प्रति दिनाक 07.08.2020 को अतिकमी तामील करायी गयी। इसके बावजूद अतिकमी बार–बार अनुपस्थित रहने के कारण पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये जाकर शामिल मिसल किये गये। तहत अदालत की पत्रावली में शामिल बयान पटवारी हल्का द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम बबेरा की आराजी खसरा न0 425 रकबा 3.90 है0 किस्म चारागाह की सरकारी भूमि है, जिस पर अतिकमी गिर्राज पुत्र पृथ्वी द्वारा 0.50 है0 भूमि पर पूर्व में भी अतिकमण किया था। जिसे पूर्व में धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था, उक्त अतिकमी द्वारा अब पुनः अतिकमण किया है, यह अतिकमी पश्चातवर्ति है, और बार–बार अतिकमण का आदि है, अर्थात आदतन अतिकमी है। प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की गयी मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के ग्राम बबेरा की आराजी खसरा न0 425 रकबा 3.90 किस्म चारागाह मौके पर पहुचा राजस्व रिकॉर्ड/मौके के अनुसार अतिकमी का कब्जा है एवं हाल मौके पर लगभग 2.25 है0 भूमि में बाडी, ज्वार एवं बाजरा की फसल है व लगभग 1.00 है0 भूमि पर जुताई कर रखी है बाकि हिस्सा खाली पड़त है। हाल राजस्व रिकॉर्ड में उक्त खसरा न0 पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर का स्थगन का नोट अंकित है। चूंकि अवलोकन से स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर द्वारा जारी स्थगन आदेश 26.03.2019 ताफैसला दावा किया गया है। स्थगन आदेश के बावजूद भी तहत अदालत द्वारा धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आशिंक स्वीकार की जाती है। तहसीलदार बानसूर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.09.2020 को निरस्त किया जाता है। साथ ही अपील अपीलाण्ट तहसीलदार बानसूर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर में विचाराधीन वाद व स्थगन की वस्तुस्थिति की जांच कर विधिसम्मत् निर्णय अन्दर दो माह में निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.08.2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)